न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 149 / 2022

उनवान

1. श्री भंवर लाल पिता स्व0 श्री गोकल विश्नोई नि0 पुर तह0 व जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्री देवेन्द्र कुमार पिता श्री कन्हैया लाल नि0 पुर तह0 व जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. आजाद मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ मुसलमान नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ।
2. श्री मुरलीधर सिह पिता श्री देबीलाल दरोगा नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ।
3. मु.समजीदबानु पुत्री श्री मोहम्मद हनीफ मुसलमान नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ।
4. श्री गणेश लाल पुत्र भैरू दर्जी नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ।
5. श्री रमेश चन्द्र पुत्र सोहन लाल कोगटा नि0 2 बी 3 एन एच बी शास्त्री नगर भीलवाडा तह0 व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 28.03.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 07.12.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ I भू0अभि0नि0 क्षैत्र हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1857 की कृषि भूमि की आ0न0 4640 / 4560 रकबा 0.0758है0, आ0न0 4642 / 4562 रकबा 0.1012है0 कुल किता 02 रकबा 0.1770है0, खाता संख्या 1896 की आराजी नम्बर 4641 / 4560 रकबा 0.1265है. आ0न0 4643 / 4562 रकबा 0.1391है0 कुल किता 02 रकबा 0.2656है0, खाता संख्या 1858 की आ0न0 1134 रकबा 0.0379है0, आ0न0 4551 / 1135 रकबा 0.0192है0, आ0न0 4555 / 1130 रकबा 0.0316है0, आ0न0 4559 / 1132 रकबा 0.2403है0 आ0न0 4561 / 1113 रकबा 0.1138है0, कुल किता 05 रकबा 0.4428 है0** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 एवं 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है **ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ I भू0अभि0नि0 क्षैत्र हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1857 की कृषि भूमि की आ0न0 4640 / 4560 रकबा 0.0758है0, आ0न0 4642 / 4562 रकबा 0.1012है0 कुल किता 02 रकबा 0.1770है0, खाता संख्या 1896 की आराजी नम्बर 4641 / 4560 रकबा 0.1265है. आ0न0 4643 / 4562 रकबा 0.1391है0 कुल किता 02 रकबा 0.2656है0, खाता संख्या 1858 की आ0न0 1134 रकबा 0.0379है0, आ0न0 4551 / 1135 रकबा 0.0192है0, आ0न0 4555 / 1130 रकबा 0.0316है0, आ0न0 4559 / 1132 रकबा 0.2403है0 आ0न0 4561 / 1113 रकबा 0.1138है0, कुल किता 05 रकबा 0.4428 है0** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400 / —रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500 / —रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 28.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)